



दिनांक: 08 दिसंबर 2023

बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को पैनल में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव के लिए अनुरोध
(आरएफपी), मुंबई

इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों (ईएमए) को पैनल में सूचीबद्ध करने के लिए दिनांक [25 नवंबर 2023](#) के प्रस्ताव के अनुरोध के क्रम में दिनांक 06 दिसंबर 2023 को 11:00 बजे मासप्रवि सम्मेलन कक्ष, पहली मंजिल, मासप्रवि, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में एक बोली- पूर्व बैठक आयोजित की गई थी।

बैंक और ईएमए के प्रतिभागियों की सूची नीचे दी गई है:

i. बैंक अधिकारी:

क्रमांक	नाम	पद नाम
1	भवानी आर	सहायक महाप्रबंधक
2	सौरभ फेलिक्स कच्छप	प्रबंधक
3	स्वप्निल अजित अनिखिंडी	सहायक प्रबंधक

ii. ईएमए प्रतिनिधि:

क्रमांक	प्रतिनिधि का नाम	विक्रेता का नाम
1	किरण शेटी	कलेक्टिव हेड्स
2	सीएस परमेश्वर	पैरामिन ऐडवरटाइजिंग
3	नंदकुमार जाधव	ऐंजल अडवरटिज़मेंट
4	सर्वेश पांडे	दीपाली डिज़ाइन एवं एक्विहिबिट्स
5	समीर विठ्ठलान	कांसेप्ट कॉम
6	शीफल देवगन, अविनाश	टीम रस्टिक
7	कामाक्षी वोहरा	गो बनानाज (वेबेक्स के माध्यम से)

2. विक्रेताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों और बैंक के स्पष्टीकरण/टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	प्रश्न	स्पष्टीकरण/टिप्पणी
1	क्या एमएसएमई कंपनियां बयाना राशि से छूट का लाभ उठा सकती हैं?	एमएसएमई के लिए बयाना राशि से कोई छूट नहीं है।
2	क्या तकनीकी बोली के साथ अनुबंध I- संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत किया जाना जरूरी है?	हाँ।
3	ग्राहक से पूर्णता प्रमाणपत्र के लिए, हम आरबीआई से अनुरोध करते हैं कि वह सफलतापूर्वक किए गए कार्य की पुष्टि करने वाले ग्राहक के ई-मेल पर भी विचार करें।	क्लाइंट से पूर्णता प्रमाणपत्र आरएफपी दस्तावेज़ में दिए गए फॉर्म एच में प्रदान किया जाना चाहिए।
4	बोली जमा करने का तरीका क्या है, ऑनलाइन या ऑफलाइन?	तकनीकी बोली ऑफलाइन माध्यम से सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5	क्या हमें बयाना राशि रसीद के साथ बैंक गारंटी फॉर्म जमा करना होगा?	तकनीकी बोली के दौरान इसकी आवश्यकता नहीं है।
6	पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए कोई भी प्रारूप	कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं।
7	क्या हम फॉर्म जी - बैंकर प्रमाणपत्र के समक्ष अपना बैंक प्रारूप जमा कर सकते हैं? जो प्रमाणपत्र बिंदु संख्या 04 से 07 में उल्लिखित आपके मानदंडों को पूरा करता है।	केवल आरएफपी में निर्दिष्ट प्रारूप में।
8	क्या हमें प्रस्तुतिकरण को निविदा के साथ जमा करना चाहिए या मूल्यांकन के बाद हमें अगली तारीख पर प्रस्तुतिकरण के लिए अलग से बुलाया/ईमेल किया जाएगा?	तकनीकी बोली दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया जाना है। यदि कोई अपडेट हो तो उसे ईमेल किया जा सकता है।
9	आयोजन की लागत का 5 गुना जुर्माना बहुत ज्यादा है। हम आरबीआई से जुर्माने को आयोजन की कुल लागत का 50% तक कम करने का अनुरोध करते हैं।	इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
10	कृपया पंजीकरण और बोली जमा करने के लिए एमएसटीसी पोर्टल विवरण साझा करें।	www.mstcecommerce.com
11	प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक दस्तावेज को देखते हुए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जमा करने की तारीख मौजूदा 20 दिसंबर 2023 से कम से कम 8-	कोई परिवर्तन नहीं।

	10 दिन बढ़ा दी जाए। समय विस्तार हमें आरबीआई को एक मजबूत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा।	
12	यह ध्यान में रखते हुए कि वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, महामारी ने पूरे भारत में भौतिक घटनाओं को प्रभावित किया, हम आरबीआई से रुपये के टर्नओवर मानदंड को 25 करोड़ से रु. 15 करोड़ तक कम करने का अनुरोध करते हैं और पिछले 5 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के औसत कारोबार और तकनीकी मूल्यांकन मानदंडों में प्रासंगिक परिवर्तनों पर विचार करें।	कोई परिवर्तन नहीं।
13	हम आरबीआई से सभी आवश्यक अनुमोदन और एजेंसियों के नाम सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हैं। इससे हमें उन अनुमोदनों को लेने के लिए आवश्यक लागत का अंदाजा मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त हम अनुरोध करते हैं कि क्या कार्य दायरे के इस हिस्से को भारता की शीर्ष सरकारी संस्था होने के नाते आरबीआई द्वारा स्वयं प्रबंधित किया जा सकता है। सफल बोलीदाता सहायक सहायता प्रदान कर सकता है और शीघ्र अनुमोदन के लिए संबंधित एजेंसियों से संपर्क करेगा।	आयोजन के वास्तविक डायरे की जानकारी उस विशिष्ट आयोजन की वित्तीय बोली से पहले दी जाएगी। कोई परिवर्तन नहीं।
14	आयोजनों की संख्या - हम आरबीआई से अनुरोध करते हैं कि दो वित्तीय वर्षों को महामारी वर्ष मानते हुए संख्या को (10 से ऊपर से घटाकर 3) किया जाए। साथ ही पिछले 5 वर्षों के अनुभव पर भी विचार करें।	कोई परिवर्तन नहीं।
15	कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दें:	1 और 2. कृपया संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता देखें।

	<p>1. सांकेतिक कीमतें जो हम प्रस्तुत करेंगे, प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से इस आरएफपी के किसी अन्य बोलीदाता के साथ समझौते के बिना तय की जाएंगी।</p> <p>2. हम जो सांकेतिक कीमतें प्रस्तुत करेंगे, वे इस आरएफपी का जवाब देने वाले किसी भी अन्य बोलीदाता को नहीं बताई जाएंगी।</p> <p>3. यदि हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या बैंक द्वारा सूचित अवधि के भीतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का वचन देते हैं।</p>	<p>3. ईएमए को पैनल में शामिल करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ीकरण कार्य को बैंक द्वारा समय-सीमा के साथ सूचित किया जाएगा, जिसका सफल बोलीदाताओं को पालन करना होगा।</p>
16	<p>सबसे बड़े आयोजन का मूल्य - हम आरबीआई से दो वित्त वर्ष को महामारी वर्ष मानते हुए मूल्य (10 करोड़ से अधिक से घटाकर 2 करोड़ से कम तक) कम करने का अनुरोध करते हैं। साथ ही पिछले 5 वर्षों के अनुभव पर भी विचार करें।</p>	<p>कोई परिवर्तन नहीं।</p>
17	<p>यदि मुख्य अतिथियों की अनुपलब्धता के कारण कार्यक्रम अंतिम क्षण में रद्द हो जाता है, तो क्या आरबीआई सभी पूर्व गतिविधियों और सेटअप के लिए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करेगा?</p>	<p>एजेंसी द्वारा पूरा किए गए कार्य की सीमा तक एजेंसी को भुगतान किया जाएगा।</p>
18	<p>क्या आप कृपया हमें बता सकते हैं कि आरबीआई आयोजनों के प्रबंधन के लिए कितनी एजेंसियों को सूचीबद्ध करने की योजना बना रहा है?</p>	<p>कृपया आरएफपी का पृष्ठ संख्या 27 देखें।</p>
19	<p>पैनल में शामिल होने के बाद क्या आरबीआई संविदा प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय बोली और तकनीकी बोली दोनों के भारित स्कोर पर विचार करेगा?</p>	<p>नहीं, केवल वित्तीय बोलियाँ ही संविदा के अंतिम आवंटन का आधार बनेगी।</p>

20	क्या प्रचार और विज्ञापन की जिम्मेदारी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी की होगी?	प्रचार और विज्ञापन घटना विशिष्ट होंगे। सभी आयोजनों के लिए प्रचार एवं विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होगी।
21	क्या कार्यक्रम पूरे भारत में आयोजित किये जायेंगे?	हाँ।
22	क्या आरबीआई मुंबई कार्यालय पूरे भारत में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों का समन्वयक होगा?	नहीं, आरबीआई के विभिन्न विभाग/कार्यालय समन्वय कर सकते हैं।
23	आरबीआई आगामी आयोजनों के लिए कितने महीने पहले वित्तीय बोली जारी करेगा?	घटना से काफी पहले
24	क्या ईएमए का मूल्यांकन उसके द्वारा पहले किए गए आयोजनों में अतिथि की प्रोफाइल/संख्या नियोजन के आधार पर किया जाएगा?	नहीं।
25	क्या आरबीआई सुरक्षा जमा के लिए भुगतान करेगा, उदाहरण के लिए, आयोजन स्थल या होटल के कमरे आदि की बुकिंग के लिए भुगतान की जाने वाली सुरक्षा जमा राशि।	नहीं, एजेंसी अपना वित्तीय बोली प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सुरक्षा जमा की लागत का आकलन कर विचार करे।

3. बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

नोट: उपर्युक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किए गए हैं। बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त आरएफपी का हिस्सा बनेंगे। आरएफपी दस्तावेज़ के अन्य सभी भाग अपरिवर्तित बने रहेंगे। फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत करना बोली दस्तावेज़ और ऊपर दिए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।